



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

Speed

सं० 33/प्रेस क्लीपिंग/7/सीजी/2017/आरयू-III

छठी मंजिल, बी विंग, लोकनायक भवन  
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003  
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,  
Khan Market, New Delhi - 110003

Dated ..... 31/7/17 .....

सेवा में,

मुख्य सचिव,  
छत्तीसगढ़ सरकार,  
रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

विषय: आदिवासी सरकार से बन्धयकरण (Sterilisation) अभिगमन से इन्कार करने वाले 1979 के आदेश भंग कराना चाहते हैं, के शीर्षक से इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली दिनांक 24.04.2017 में प्रकाशित समाचार।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त मामले पर संज्ञान लेते हुए आयोग की 96वीं बैठक दिनांक 30.05.2017 में चर्चा की गई। आयोग की 96वीं बैठक के संबंधित कार्यवृत्त अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि मामले में आयोग को विस्तृत रिपोर्ट एवं की गई कार्रवाई भिजवाने का कष्ट करें।

4115-18  
31/7/17  
नारी किया  
ISSUED

OK

भवेदीप,  
(एस.पी. मीना)  
सहायक निदेशक

प्रति:

1. प्रधान सचिव, जनजातीय विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार, तीसरा तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
3. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, आर-26, अवन्ति विहार, सेक्टर-2, पो०-रविग्राम, रायपुर-492006, छत्तीसगढ़

4. NIC



No 1/5/2017-समन्वय.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

छठा तल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन,  
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 19 जून, 2017


सेवा में,

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष,
3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य,
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य,
5. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य,

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 30.5.2017 को 12:00 बजे सम्पन्न 96वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग की 96वीं बैठक आयोग के सम्मेलन कक्ष, लोकनायक भवन, नई दिल्ली में दिनांक 30.5.2017 को 12:00 बजे सम्पन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई। बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

भवदीय,  
  
(के.डी. बंसौर) श्रीमती  
निदेशक

96वीं बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्रत्येक संबंधित एकक/कार्यालय द्वारा दिनांक 3.7.2017 तक अवश्य ही समन्वय एकक को भेज दी जाए।

1. निदेशक (अनुसंधान एकक-III & IV)
2. उप सचिव (अनुसंधान एकक- I & II)
3. अवर सचिव (समन्वय एवं अनुसंधान एकक- IV)
4. सहायक निदेशक (प्रशा. एवं अनुसंधान एकक- III) / सहायक निदेशक, (राजभाषा एवं अनुसंधान एकक-I & II)

प्रतिलिपि: 96वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित:

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव के निजी सहायक
8. निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/भुवनेश्वर/जयपुर/रायपुर/रांची/शिलांग।
9. आयोग की एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 96वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

(फाईल सं. 1/5/2017-समन्वय)

दिनांक : 30.5.2017

समय : 12 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन,  
नई दिल्ली-110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

सहभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
8. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
9. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
10. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

कार्यसूची मद सं0 1	आदिवासी सरकार से बन्ध्यकरण (sterilization) अभिगमन से इन्कार करने वाले 1979 के आदेश को भंग कराना चाहते हैं के शीर्षक से इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली दिनांक 24.4.2017 में प्रकाशित समाचार।
Agenda Item No. 1	News item appeared in Indian Express, Delhi dated 24.4.17 caption 'Tribals want govt to scrap 1979 order denying sterilisation access'

1.1 इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 24.4.2017 में समाचार प्रकाशित हुआ कि छब्बीस वर्षीया रानीचंद बैगा नामक अनुसूचित जनजाति महिला जिसका विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था। और एक जनजाति में जहाँ नॉन सर्जिकल कन्ट्रैक्चर अभी भी अज्ञात है, उनके आठ बच्चे हुए और जिनमें से दो बीमारी के कारण मर गए। उनका अचनकमा बाघ अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र में एक कमरे का मकान है, उनका एक माह का बच्चा भूखा है, और वह उसके लालन पालन के लिए संघर्ष रत हैं।

समाचार पत्र में आगे उल्लिखित किया गया है कि, श्रीमती रानीचंद और जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) के दस अन्य बैगा परिवारों के सदस्य जो मध्य प्रदेश द्वारा पारित 38 वर्ष पुराने आदेश को चुनौती दे रहे हैं। जो उन्हें बन्ध्यकरण कराने से रोकता है।

1.2 आयोग ने इस प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लिया तथा दिनांक 17.5.2017 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार एवं सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

1.3 आयोग ने प्रकरण पर विचार किया तथा निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से बैगा (PVTG) समुदाय का गत दो जनगणना का जनसांख्यिकीय रुझान तथा शैक्षणिक स्तर की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाए। तदोपरांत, इस विषय पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ चर्चा के लिए आयोग में बैठक बुलाई जाए।